14.06.2018	**राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** पीठासीन अधिकारी :– श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0) आर.सी.एम.एस 2018/00097 अपील संख्या 23/2018 (225 आर.टी.एक्ट) उनवानः–गोपाल बनाम हिमॉशु	
	वकुलाय फरीकेन उप0। बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी की बहस है कि अधीनस्थ न्याया0 ने सम्पूर्ण हिस्से पर स्थगन जारी कर दिया है जबकि प्रत्यर्थी 1 एवं 2 का हिस्सा केवल 1/4 ही है।अतः अपीलार्थी को शेष रकवे पर रहन वय के प्रभाव से मुक्त रखा जावे। वकील प्रत्यर्थी की बहस है कि मामला पुश्तैनी सम्पत्ति से संबंधित है जिसमें अभी हिस्सा तय नहीं हुआ है। अतः स्थगन यथावत रखा जावे। बहस उभयपक्ष से प्रकट है प्रत्यथी सं0 1 एवं 2 का हिस्सा 1/4 से अधिक नहीं बनता है। अतः सम्पूर्ण आराजी पर स्थगन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है अतः अधि0 न्याया0 के अन्तरिम आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि अधि0 न्याया0 द्वारा जारी स्थगन सम्पूर्ण आराजी के 1/4 हिस्से तक प्रभावी होगा। पत्रा0 इस स्तर पर निर्णित शुमार की जाती है। पत्रा0 फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official